न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 सौम्या झा

आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 90/2010 अंतर्गत प्रा0पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. छाजूलाल पुत्र मांगीलाल
2. गणेशलाल पुत्र मांगीलाल
3. रतनलाल पुत्र मांगीलाल
4. रोशनलाल पुत्र मांगीलाल
5. रामलाल पुत्र मांगीलाल

समस्त जाति कोली निवासी बरखेडा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक:30.4.2026

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 5.6.1989 को ग्राम बरखेडा तहसील दौसा के ख0नं0 186/906 में से 0.35 है. भूमि का आवंटन जो कि अप्रार्थीगण के पिता मांगीलाल पुत्र रामपाल जाति कोली को किया गया था, को निरस्त करने हेतु तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा के द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14(4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
2. प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।
3. राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पिता मांगीलाल पुत्र रामपाल जाति कोली निवासी बरखेडा तहसील दौसा को दिनांक 05.06.1989 को ग्राम बरखेडा के आराजी खसरा नंबर 186/906 में से 0.35 है. भूमि का आवंटन किया गया। भूमि आवंटन होने पर नामान्तरण सं0 23 दिनांक दिनांक 16.7.1992 को गैर खातेदारी दर्ज हुई। किंतु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटी को प्रश्नगत भूमि का किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।
4. अधिवक्ता अप्रार्थीगण को बार–2 अलग अलग समय पर आवाज दिलवाई गई किन्तु वे बहस हेतु अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के जवाब को ही बहस मानकर सुनवाई की गई। मुताबिक जवाब खसरा नंबर 186/896 रकबा 0.35है. भूमि प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल महावर को आवंटन की गई थी तथा मांगीलाल के पक्ष में आवंटन के आधार पर गैर खातेदारी का नामान्तरण खोला जाकर गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई थी तथा आवंटन के समय से ही आवंटी मांगीलाल काबिज रहकर काश्त करता रहा है। उसकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण आवंटनशुदा भूमि पर आवंटन के समय से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज दिन भी मौके पर काबिज है। पटवारी हल्का ने कतई गलत रिपोर्ट पेश की है, जबकि अप्रार्थीयान अपने

जिला कलेक्टर,दौसा

पिता के समय से ही आवंटनशुदा भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। तहसीलदार द्वारा कतई गलत व असत्य आधारों पर यह प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त योग्य है क्योंकि आवंटन के पश्चात से ही अप्रार्थीगण का पिता मांगीलाल काबिज काश्त रहकर काश्त करता चला आ रहा है व लगान अदा करता रहा है व उसकी मत्यु के बाद अप्रार्थीगण ही काबिज रह कर काश्त करते आ रहे है। ऐसी सूरत में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किये जाने योग्य है व आवंटन यथावत रखा जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के गरीब लोग है जिनके पास काश्त के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रौत नहीं है तथा आवंटन के पश्चात से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे व आवंटन बहक मांगीलाल यथावत रखा जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 के प्रावधान इस प्रकार है:—

   The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:
   Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

7. राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 में आवंटन की शर्तो का उल्लेख किया गया जिसमें आवंटी को भूमि के क्षेत्र में काश्त करने, अच्छी तरह से उपयोग करने हेतु पाबंद किया गया है, आवंटन नियम 14 (2) के अनुसार देय स्वीकृत लगान की दर से वार्षिक लगान की शर्त एवं भूमि को 3 वर्ष में काबिल काश्त बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
8. प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में यह ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप खैरवाल द्वारा अप्रार्थीगण के पिता मांगीलाल पुत्र रामपाल जाति कोली निवासी बरखेडा को ग्राम बरखेडा स्थित आराजी खसरा नंबर 186/906 में से 0.35है. भूमि का दिनांक 05.06.1989 को आवंटन किया गया था। भूमि आवंटन होने पर नामान्तरण सं0 23 दिनांक 29.5.1990 को गैर खातेदारी दर्ज हुई। किंतु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। पत्रावली में संलग्न नकल खसरा गिरदावरी संवत 2063 से 2066 के अवलोकन से भी यह सिद्ध होता है कि भूमि पडत पडी हुई है। अप्रार्थीगण का जवाब है कि आवंटनशुदा भूमि पर आवंटन के समय से ही अप्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज दिन भी मौके पर काबिज है। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उनका आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होना सिद्ध होता हो। ऐसी स्थिति आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05.06.1989 को अप्रार्थीगण के पिता मांगीलाल को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना नही करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।
9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 05.06.1989 के द्वारा ग्राम बरखेडा में आवंटी मांगीलाल पुत्र रामपाल जाति कोली के पक्ष में किया गया खसरा नंबर 186/906 रकबा 0.35 है. का आवंटन आदेश खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

जिला कलेक्टर दौसा

(डॉ0सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 अप्रेल, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

माक पर काबिज है। पटवारी हल्का ने कतई गलत रिपोर्ट पेश की है, जबकि अप्रार्थीयान अपने

जिला कलेक्टर दौसा